<u>रजिस्टर्ड/सील्ड</u>

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-316/2026/777/22-2-2025-17(777)/2025

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामदयाल (बन्दी सं0-315/2023) पुत्र स्व0 बदलू प्रसाद, चिन्तापुरवा बसंठी, थाना-चौबेपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-48/2010 में भा0द0वि0 की धारा 147, 452, 323/149, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामाबाई नगर, (कानपुर देहात) के आदेश दिनांक 15.04.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 21.06.2024 तक अपरिहार 02 वर्ष, 06 माह 02 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-316/2026/777(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।